

Ref. :

Dt. 29-08-2022

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि 2014 के वाद संख्या 43 में अपर जिला जज वाराणसी ने डायनेस्टी इंडिया के खिलाफ सिन्नी फाउंडेशन ट्रस्ट (इसके अध्यक्ष और प्रबंध ट्रस्टी स्वर्गीय रवींद्र कुमार साह और अंजन नारायण सिंह के माध्यम से) के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई। डायनेस्टी इंडिया और उसके प्रोपराइटर भोला नाथ सिंह को आदेश दिनांक 03-02-2017 को उन्हें किसी भी रूप में ट्रेड मार्क सिन्नी का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया।

सिन्नी फाउंडेशन ट्रस्ट राज कुमार साह एंड संस द्वारा असाइनमेंट डीड के माध्यम से सिन्नी ट्रेडमार्क का मालिक है।

भोला नाथ सिंह प्रोपराइटर डायनेस्टी इंडिया पूरी तरह से जानते हैं कि उन्हें और उनकी फर्म को किसी भी रूप में ट्रेडमार्क सिन्नी का उपयोग करने से रोक दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वह धोखा दे रहे हैं और आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि उनके पास सिन्नी ट्रेडमार्क का उपयोग करने का लाइसेंस है जो पूरी तरह से गलत है इसलिए इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्री भोला नाथ सिंह द्वारा खुद को ट्रेडमार्क सिन्नी के लाइसेंसधारी के रूप में चित्रित करके किए गए किसी भी दुराचार, धोखाधड़ी या जालसाजी के किसी परिणाम का सिन्नी फाउंडेशन ट्रस्ट, ट्रेडमार्क / कॉपीराइट्स के असली मालिक पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी।

ट्रेडमार्क सिन्नी के ग्राहकों को धोखा देकर भोला नाथ सिंह की सहायता करने वाले किसी भी वितरक, निर्माता, डीलर आदि को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

प्रबंध न्यासी


अंजन नारायण सिंह